"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 361] नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 21 अप्रैल 2025 — वैशाख 1, शक 1947

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21 अप्रैल 2025

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-30/2023/17-दो. - यतः, सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिये पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, पारदर्शिता तथा दक्षता लाता है और हितग्राहियों को अपने अधिकारों की सीधे सुविधा प्राप्त करने में सक्षम बनाता है तथा निर्बाध रीति से किसी की पहचान साबित करने के लिये विभिन्न दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता को दूर करता है;

और यतः, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग "आयुष्मान भारत PMJAY, डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना (ABPMJAY DKBSSY)" एवं मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना (MVSSY) का प्रशासन तथा संचालन कर रहा है जिसमें राज्य के समस्त राशन कार्डधारी परिवारों को योजना अंतर्गत सूचीबद्ध स्वास्थ्य प्रसुविधा प्रदान करने हेतु पंजीकृत चिकित्सालयों में हितग्राहियों को निःशुल्क इलाज लाभ उपलब्ध करती है। यह योजना राज्य नोडल एजेंसी के माध्यम से संचालित की जाती है;

और यतः, "आयुष्मान भारत PMJAY, डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों की दशा में, राशन कार्डधारी परिवार को 5 लाख रूपये एवं एपीएल राशन कार्डधारी परिवारों की दशा में 50,000 रूपये का निःशुल्क इलाज किया जाता है। यतः, MVSSY योजना अंतर्गत 20 लाख रूपये तक की बीमाकृत राशि राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियत के अधीन राशन कार्डधारक परिवार को योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार कियान्वयन एजेंसी द्वारा दी जाती है;

और यतः, उक्त योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन की समेकित निधि आवर्ती से व्यय होता है,

अतएव, आधार (वित्तीय एवं अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (क. 18 सन् 2016) की धारा 7 तथा छत्तीसगढ़ आधार (वित्तीय एवं अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान तथा सूचना का संरक्षण) अधिनियम, 2018 (क. 13 सन् 2018) की धारा 8 सहपठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात, :-

1. (1) योजना के अधीन लाभ प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को उसे आधार क्रमांक होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या आधार प्रमाणीकरण करवाना आवश्यक होगा।

(2) योजना के अधीन लाभ प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को और जिसके पास आधार क्रमांक नहीं है या जिन्होंने आधार के लिये नामांकन नहीं कराया है, को अपने माता-पिता या अभिभावकों की सहमति के अधीन आधार नामांकन के लिये आवेदन करना आवश्यक होना (बाल लाभार्थियों के मामले में) परन्तु यह आधार (वित्तीय एवं अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान तथा सूचना का संरक्षण) अधिनियम, 2018 (क्र. 13 सन् 2018) की धारा 3 के अनुसार आधार प्रदान करने का हकदार हो और ऐसे बच्चे किसी भी आधार नामांकन केन्द्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकारण (UIDAI) की वेबसाइट www.uidai.gov.in) पद पर जाकर आधार के लिये नामांकन कर सकते है।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपनी क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से, एन हितग्राहियों के लिये आधार नामांकन सुविधायें प्रदान करना आवश्यक है, जो अभी तक आधार के लिये नामांकित नहीं हुये है और आधार ना होने की स्थिति में, संबधित ब्लॉक या तालुका या तहसील स्थित नामांकन केन्द्र होने की दशा में, विभाग अपनी क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से, यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय से या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेंगाः

परन्तु ऐसे व्यक्ति को तब तक आधार नहीं दिया जाता है, जब तक कि योजना के तहत् लाभ प्राप्त करने हेतु ऐसे व्यक्तियों द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण नहीं किया जाता है, अर्थात :-

एक. 18 वर्ष से कम उम्र के हितग्राहियों के लिये -

(क) यदि बच्चा 5 वर्ष की उम्र होने के उपरांत, पंजीकृत किया जाता है (बायोमेट्रिक्स कलेक्शन के साथ) तब उसका आधार पंजीयन पहचान पर्ची, या बायोमेट्रिक्स अपडेट पहचान पर्ची; और

(ख) इनमें से कोई भी एक दस्तावेज, अर्थात :-

(एक) जन्म प्रमाण-पत्र, या उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म का रिकार्ड, या

(दो) स्कूल पहचान-पत्र, स्कूल के प्राचार्य द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित, अभिभावक के नामयुक्त, और

(ग) योजना के दिशा-निर्देशानुसार हितग्राहियों के अभिभावक या कानूनी अभिभावक के साथ संबंध के प्रमाण हेतु निम्न में से कोई एक दस्तावेज-

(एक) जन्म प्रमाण-पत्र या उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म का रिकार्ड; या

(दो) राशन कार्ड; या

(तीन) एक्स सर्विसमेन कन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम (ECHS) कार्ड या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) कार्ड या सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) कार्ड; या

(चार) पेंशन कार्ड; या

(पांच) आर्मी कैंटीन कार्ड; या

(छ) कोई भी शासकीय पारिवारिक पात्रता कार्ड; या

(सात) विभाग द्वारा यथाउल्लिखित अन्य कोई दस्तावेज ।

(दो) 18 वर्ष से अधिक उम्र के हितग्राहियों के लिए,-

(क) यदि उसने नामांकन किया है, तो उसका आधार नामांकन पहचान पर्ची; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात,-

(एक) बैंक या पोस्ट ऑफिस का फोटो युक्त पासबुक ; या

(दो) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या

(तीन) पासपोर्ट; या

(चार) राशन कार्ड; या

(पाँच) मतदाता पहचान पत्र; या

(छः) मनरेगा कार्ड; या

(सात) किसान फोटो पासबुक; या

(आठ) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) के तहत लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस; या

(नौ) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा आधिकारिक लेटर हेड पर जारी किए गए ऐसे व्यक्ति की फोटो युक्त पहचान का प्रमाण पत्र; या

(दस) विभाग द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेजः

परन्तु और यह कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. योजनान्तर्गत हितग्राहियों को सुविधापूर्वक लाभ उपलब्ध कराने के क्रम में, विभाग अपनी क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हितग्राहियों को योजनांतर्गत आधार की आवश्यकता से अवगत कराने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा।

3. सभी मामलों में, जहाँ लाभार्थियों के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से आधार प्रमाणीकरण विफल हो जाता है. निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र को अपनाया जाएगा, अर्थात -

(क) खराब फिंगरप्रिंट गुणवत्ता के मामले में, प्रमाणीकरण के लिए आईरिस स्कैन या फेस प्रमाणीकरण की सुविधा को अपनाया जाएगा, जिससे निर्बाध रीति से लाभ प्रदान करने के लिये विभाग अपनी क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से आईरिस स्कैनर या फेस प्रमाणीकरण के साथ-साथ फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण के लिए प्रावधान करेगा

(ख) उंगलियों के निशान या आईरिस स्कैन या चेहरे के प्रमाणीकरण के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सफल नहीं होने की स्थिति में, जहां भी संभव हो, आधार वन टाइम पासवर्ड या सीमित समय वैधता के साथ टाइम-आधारित वन टाइम पासवर्ड, जैसा भी मामला हो, के द्वारा प्रमाणीकरण स्वीकार्य होगा;

(ग) अन्य सभी मामलों में, जहाँ बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या टाइम-आधारित वन टाइम पासवर्ड प्रमाणीकरण संभव नहीं है, वहाँ योजना के तहत भौतिक आधार पत्र के आधार पर लाभ दिया जा सकता है, जिसका प्रमाणीकरण, आधार पत्र पर मुद्रित क्विक रिस्पोन्स कोड के माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है। क्विक रिस्पोन्स कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था विभाग द्वारा अपनी क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर उपलब्ध करायी जायेगी।

4. यहाँ ऊपर अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, किसी बच्चे के उसकी पहचान प्रमाणीकरण को या आधार नंबर के प्रमाण को प्रस्तुत करने में असफल रहने की दशा में, योजनांर्गत लाभ को अस्वीकार नहीं करेगा या किसी बच्चे जिसको आधार संख्या नहीं दिये जाने की दशा में, नामांकन के लिये आवेदन प्रस्तुत करेगा। पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परन्तुक के खण्ड एक (ख) एवं (ग) में यथा उल्लिखित अन्य दस्तावेजों के आधार पर उसकी पहचान को सत्यापित करते हुये उसे लाभ दिया जायेगा तथा जहाँ ऐसे अन्य दस्तावेजों के आधार पर लाभ प्रदान किया गया हो, वहाँ विभाग उसे अभिलेख पर लेने हेतु एक पृथक पंजी संधारित करेगा जिसकी समय-समय पर समीक्षा और अंकेक्षण क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से किया जायेगा।

5. उपरोक्त के अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के क्रम में, कि योजना के अंतर्गत कोई भी वास्तविक लाभार्थी (बच्चों के अतिरिक्त) अपनी उचित प्रसुविधाओं से वंचित न हो, संबंधित विभाग अपनी क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से अपवाद प्रबंधन तंत्र का अनुसरण करेगे, जैसा कि डायरेक्ट बेनीफीट ट्रांसफर मिशन, कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार के कार्यालय के ज्ञापन नं. D-26011/04/2017/DBT, दिनांक 19 दिसंबर, 2017 (https:/dbtbharat.gov.in/ पर उपलब्ध) में उल्लिखित है।

यह अधिसूचना, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारिख से प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21 अप्रैल 2025

क्रमांक एफ 10-30/2023/17-दो. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-30/2023/17-दो, दिनांक 21-04-2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 21st April 2025

NOTIFICATION

No.F 10-30/2023/17-2. - Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of subsidies, benefits or services simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables the beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Health and Family Welfare is administering and conducting the"Ayushman Bharat PMJAY Dr. KhubchandBaghelSwasthyaSahayataYojna (ABPMJAY DKBSSY)" and "MukhyamantriVisheshSwasthyaSahayataYojana (MVSSY)", under which free treatment is provided to beneficiaries under registered Hospitals for listed health benefit packages to the families of all ration card holder in the State. The scheme is implemented through the State Nodal Agency;

And whereas, under the ABPMJAY DKBSSY Scheme, free of cost treatment to Ration card holder families of Rs. 5 lacs in case of BPL families &Rs. 50,000 in case of APL Ration card holderfamilies is given whereas under MVSSY scheme up to Rs. 20 lac coverage is given to the Ration card holder families under State's Food Security Act, by the Implementing Agency as per the guidelines of the Scheme;

And whereas, under the said Scheme, recurring expenditure is incurred from the Consolidated Fund of Government of Chhattisgarh;

Now, therefore, in pursuance of Section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (No.18 of 2016) and in exercise of the powers conferred bySection 8 read with Section 3 of the Chhattisgarh Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services and Protection of Information) Act, 2018 (No.13 of 2018), the State Government,hereby, notifies the following, namely:-

1. (1) An individual desirous of availing the benefits under the scheme shall be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment subject to the consent of his parents or guardians (in case of child beneficiaries), provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per Section 3 of the Chhattisgarh Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services and Protection of Information) Act, 2018 (No.13 of 2018) and such children shall visit any Aadhaar enrolment centre (available at the Unique identification Authority of India (UIDAI) website www uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per Regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tahsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, the benefits under the scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely :-

I. For beneficiaries below 18 years old,-

(a) if the child has been enrolled after attaining the age of 5 years (with biometrics collection), his Aadhaar Enrolment Identification slip or bio-metric update identification slip; and

(b) any one of the following documents, namely:-

(i) Birth Certificate or Record of birth issued by the appropriate authority; or

(ii) School identity card, duly signed by the Principal of the school, containing parents' names; and

(c) any one of the following documents as a proof of relationship of the beneficiary with the parent or legal guardian as per the guidelinesof the Scheme, namely:–

(i) Birth Certificate or Record of birth issued by the appropriate authority; or

(ii) Ration Card; or

(iii) Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) Card or Employees' State Insurance Corporation (ESIC) Card or Central Government Health Scheme (CGHS) Card; or

(iv) Pension Card; or

(v) Army Canteen Card; or

(vi) any Government Family Entitlement Card; or

(vii) any other document as specified by the Department.

II: For beneficiaries above 18 years old,-

(a) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and

(b) any one of the following documents, namely:-

(i) Bank or Post office passbook with photo; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card; or

(v) Voter ldentity Card; or

(vi) MGNREGA card; or

(vii) Kisan Photo passbook; or

(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988); or

(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tahsildar on an official letter-head; or

(x) any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. ln order to provide benefits to the beneficiaries under the scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme.

3. ln all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) In case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with fingerprint authentication for delivery of benefits in a seamless manner;

(b) In case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible, authentication by AadhaarOne Time Password or Time based One Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be admissible;

(c) In all other cases where biometric or AadhaarOne Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response (QR) code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response (QR) code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. Notwithstanding anything contained hereinabove, no child shall be denied benefit under the Scheme in case of failure to establish his identity by undergoing authentication or furnishing proof of possession of Aadhaar number, or in the case of a child to whom no Aadhaar number has been assigned, producing an application for enrolment. The benefit shall be given to him by verifying his identity on the basis of other documents as mentioned in clauses I(b) and (c) of the proviso of sub-paragraph (3) of paragraph 1, and where benefit is given on the basis of such other documents, a separate register shall be maintained to record the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Department through its Implementing Agency.

5. ln addition to the above, in order to ensure that no bonafide beneficiary (other than children) under the Scheme is deprived of his due benefits, The concerned Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism asspecified in Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India, in the Office Memorandum No. D-26011/04/2017/DBT, dated the 19th of December,2017 (available on https://dbtbharat. gov.in/).

This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AMIT KATARIA, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.